



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०ख०)
जखोली, रुद्रप्रयाग।

0/c

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

Email. eepmgsyjakholi@rediffmail.com

पत्रांक:— 5 / / पी०एम०जी०एस०वाई० / सि०ख० /

दिनांक 10 / 01 / 2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग

विषय:— जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ममणी-उरोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.10 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून, के पत्र सं०-8बी०/यू०सी०पी०/06/17/2017/एफ०सी० /1476 दिनांक 01.12.2017 एवं आपका पत्रांक-978/12-1(2) दिनांक 20.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगतनीय है कि उक्त मोटर मार्ग पर सन्दर्भित पत्र के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों के क्रम में अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत है— एवं आपके पत्रांक-978/12-1(2) दिनांक 20.09.2022 के द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या पुनः आपकी सेवा में सादर प्रेषित है—

क्र०सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	शर्त संख्या-1 के अनुपालन में परिवेश पोर्टल के पैरा-19 में म्युटेशन आदेश केवल 2.10 है० क्षेत्रफल का अपलोड किया गया है, जबकि प्रकरण के एवज में कुल 4.20 है० क्षेत्रफल का म्युटेशन दो अलग-अलग पत्राकों से निर्गत हुआ है। अतः पैरा-19 में कुल 4.20 है० क्षेत्रफल का म्युटेशन आदेश अपलोड किया जाय।	अपलोड ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	शर्त संख्या-2 शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी एवं शर्त संख्या-5 सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृत लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग को प्रदान हुई है, जबकि वचनबद्धता पी०एम०जी० एस०वाई० सि०ख०, जखोली द्वारा प्रेषित की गई है। अतः प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्नक—

3	शर्त संख्या-3 के अनुपालन में उल्लेख किया गया है कि सी0ए0 पैचों की संख्या para-L(iv) में पूर्व में त्रुटिवश two के स्थान पर one किया गया है, पैचों की संख्या para-L(iv) में पूर्व में त्रुटिवश two के स्थान पर one किये जाने का विकल्प वर्तमान समय में खुल नहीं रहा है। अतः उक्त से संबंधित विवरण को ऑनलाईन संशोधन किये जाने हेतु एन0आई0सीव नई दिल्ली से सम्पर्क कर उक्त पैरा में संशोधन किया जाय।	सम्बन्धित विवरण को ऑनलाईन संशोधन किये जाने हेतु एन0आई0सीव नई दिल्ली से सम्पर्क किया गया परन्तु प्रयोक्ता एजेन्सी बदले जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित संशोधन किया जा सकता है।
4	भारत सरकार की वन अधिनियम नियमावली-2003 (हैण्ड बुक) में दी गई गाईड लाईन्स/निर्देशिका के अध्याय-5 के बिन्दु सं-5.1 के उप बिन्दु-डी के अनुसार प्रस्तावक विभाग/प्रयोक्ता एजेन्सी के बदलने पर एन0पी0वी0 की धनराशि 10 प्रतिशत या 1,00,000.00 (एक लाख) में से न्यूनतम धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जायेगी। अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में 100000.00(एक लाख) मात्र की धनराशि कैम्पा कोष में जमा करें।	धनराशि रु0 1,00,000.00 दिनांक 21.12.2022 को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा कर दिया गया है। संलग्नक-

अतः उक्त की अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु आपको सादर प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

अधिसासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0ख0)
जखोली, (रुद्रप्रयाग) 0/0

पत्रांक- 51 पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/तदिनांक


प्रतिलिपि-: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु है-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।

अधिसासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0ख0)
जखोली, (रुद्रप्रयाग) 0/0


वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।


अधिकासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, (सि०ख०)
~~जखोली~~, रुद्रप्रयाग ०/८

Strip Plantation प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख-रेख में Strip Plantation कर दी जायेगी।


अधिशाली अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई०, (सि०ख०)
~~जखोली~~, रुद्रप्रयाग ०/८

Employment Generation

कार्य का नाम— जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ममणी-उरोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

Sr. No	Items	Length of Road		Rate		Detail	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Construction Cost of Road as per current norms	5.225	Km	62.58	=	326.98	Lakhs
2	Construction Component (70%)	Rs.	Rs.		=	228.89	Lakhs
3	Labour Component (30%)	Rs.	Rs.		=	98.09	Lakhs
4	Expenditure in item no.3	Rs.	Rs.		=	98.09	Lakhs
a	Skilled Labour (20%)	Rs.	Rs.		=	19.62	Lakhs
b	Unskilled Labour (80%)	Rs.	Rs.		=	78.48	Lakhs
5	Mandays (8 hours)						
a	Skilled Labour PL17 SOR 01.05.2019	1	Day	460.08	=	4265	No.
b	Unskilled Labour PL17 SOR 01.05.2019	1	Day	376.43	=	20848	No.
	Total no. of Mandays					25113	No.
						0.25	Lac Mandays


 अधिशासी अभियन्ता,
 पी०एम०जी०एस०वाई०, (सि०ख०)
 जखोली, रुद्रप्रयाग ०/२